प्रेस नोट **04 / 08 / 2021**

माफिया मुख्तार अंसारी (आई0एस0–191) गैग के सहयोगी / करीबी 42 व्यक्तियो के 45 शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्यवाही जनपद मऊ।

दिनांक 03.08.2021 को माफिया मुख्तार अंसारी (आई0एस0 191) गैंग के सहयोगी / करीबी 42 व्यक्तियो के 45 लाइसेंसी शस्त्रो को निलम्बित किया गया। निलंबन उपरांत शस्त्र थाने में जमा कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। जिसमें थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के 33 शस्त्र लाइसेंस थाना कोतवाली के 09 तथा थाना सरायलखन्सी के 03 शस्त्र लाइसेंस शामिल है। उल्लेखनीय है कि लाइसेंसी शस्त्र धारको के शस्त्र एवं कय किये गये कारतूसो के सत्यापन / जाचं हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन में भिन्न–भिन्न तिथियो में लाइसेसं शस्त्रधारको के द्वारा कय किये गये कारतूसो के प्रयोग के सम्बन्ध में सत्यापन किया गया सत्यापन के कम में निर्धारित प्रारूप में शस्त्र धारको द्वारा अन्य सूचनाओं के साथ कारतूस के प्रयोग के सम्बन्ध में सूचनाये अंकित की गयी जिसमें कारतूस के प्रयोग के सम्बन्घ में अंकित किया गया कि कय किये गये कारतूसो में से कुछ कारतूस टेस्ट फायर / हर्ष फायर आदि में प्रयुक्त किये गये है खोखा कारतूस जमा करने के सम्बन्घ में बताये की जमा नही किया गया है, फायर के समय वही छोड़ दिया गया है शस्त्र लाइसेंस धारको द्वारा किये गए उक्त कार्य शासनादेश एवं शस्त्र लाइसेंस के नियम व शर्तो के उलंघन के श्रेणी में थे।

शांति भंग की आशंका में कुल 26 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 04.08.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा अजीत यादव, नागेन्द्र निवासीगण नदवल, दीपक यादव, अमित कुमार निवासीगण दरियाबाद, अरुण यादव, कालू निवासीगण जमालपुर व अरविंद, श्रीनाथ निवासीगण अहिलासपुर थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा पप्पू निवासी फुलेलपुरा, भूपेन्द्र, पवन व नागेन्द्र निवासीगण फैजुल्लाहपुर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा लालजी कुमार, रफीक अहमद, शमसुद्दीन निवासीगण सरकंडा व प्रयाग गौतम निवासी धौरहरा थाना मुहम्मदाबाद, थाना मधुबन पुलिस द्वारा जगरनाथ, निवासी नुरुल्लाहपुर, प्रिंस व विशाल निवासीगण इटौरा, विजय निवासी आदमपुर थाना मधुबन व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा सुदामा राम, शेखर राम निवासीगण सोनिसा, चन्द्रिका पासवान निवासी फतेहपुर, राहुल व सरफान प्रजापति निवासीगण दतेहड़ी व सरविंद यादव निवासी महासो थाना रानीपुर मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।